

नं० 2/339/2022

तारीख रजू 12/12/2022

बनाम

केहरी वगैरा

नथो वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

12.12.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवैदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उभयपक्षकारान् को जर्ज्य अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आरांजीयात खसरा नम्बर 707, 708, वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर की मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 27.12.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डांक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.12.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

27/12/22

उपोस्थाल 1
दिनांक आदेश दिनांक 12/12/22

की फालना में पत्रा जो वास्ते हलकरी रजि 0510 से ललकरी
दिनांक 14/12/22 को पेश हो रजि 0510 की 3/2/22

निगत दिनांक 12/12/22 जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/24	<p>वकील जमीन उपस्थित नहीं आये - 1 वकील वकील को वार - 2 आवाज खिलाई गई दोर उपस्थित नहीं आये अतः जमीन का इतना - फा करण वकील जमीन के कदम पेशी - कदम हाउस में डीपी खेप के प्यारिज किया जाता है फावली में मल शुका हीकर नम्बर 215/24 री कड के हुमा</p> <p style="text-align: right;">A - 0 - Sohan 21/5/24</p>	